भारत सरकार
वित्त मंत्रायल
राजस्व विभाग

लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं.1248
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 25 नवंबर, 2019/04 अग्रहायण 1941 (शक) को दिया जाना है)

जब्त संपत्तियों की बिक्री

1248. श्री रमेशभाई एल॰ धडुक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लंबे समय से जब्त संपत्तियां नहीं बेच रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनका मूल्य कम हो रहा है और इस कारण राजकोष में राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले को सुलझाने के लिए एक ठोस योजना बनाने का विचार है ताकि उक्त विभाग जब्त संपत्तियों का एक निर्धारित और पारदर्शी तरीके से निपटारा करके पर्याप्त राजस्व अर्जित कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ईडी द्वारा निपटारा की गई संपत्ति का ब्यौरा क्या है और इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): बेनाम संपत्ति निषेध अधिनियम, 1988 के तहत आयकर विभाग द्वारा लंबे समय से जब्त संपत्ति को नहीं बेचने का कोई मामला नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उनका मूल्य कम हो रहा हो। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत संपत्ति की 'जब्ती' का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए और फेमा के तहत अनेक चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। हालांकि उक्त जब्ती विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष अपील की विषय-वस्तु है, इसलिए निदेशालय ऐसी संपत्तियों को केवल सभी न्यायिक मामलों के अंतिम निपटान के पश्चात ही बेच सकता है।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 5 मामलों में बकाएदारों की संपत्तियां जब्त की हैं परंतु न्यायिक प्रक्रिया/मुकदमेबाजी लंबित होने के कारण अब तक उनकी नीलामी नहीं की गई है।

(ङ): विगत तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निपटारा की गई संपत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	संपत्तियों के निपटारे से प्राप्त किया गया राजस्व
2017	शून्य
2018	195.93 लाख रुपये
2019 (31.10.2019 तक)	शून्य

****